(68)

समाहरणालय मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
पत्रांक 60 / पं0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक 10/01/2019

विषय : **बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 तथा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में कमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग : संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1453, दिनांक–13.03.2018 एवं विभागीय पत्रांक–4695, दिनांक–12.07.2016 तथा विभागीय पत्रांक–4696, दिनांक–12.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 तथा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में कमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर में निहित संगत प्रावधान के आलोक में जिला स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के शेष रिक्त पदों पर चयन हेतु निम्नांकित विवरणी अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित की गयी है:-

| कं0 | कार्यक्रम | निर्धारित तिथि/अवधि |
|---|---|---|
| 01 | जिले स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर जिले के ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की रिक्ति की विवरणी का प्रकाशन एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि | प्रकाशन 11.01.2019 को, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि–25.01.2019 तक |
| 02 | प्राप्त आवेदन के आधार पर पैनल का प्रकाशन | 26.01.2019 से 30.01.2019 तक |
| 03 | पैनल पर आपत्ति प्राप्त करना | 31.01.2019 से 14.02.2019 तक |
| 04 | पैनल पर प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरान्त अंतिम रूप से पैनल का प्रकाशन | 15.02.2019 से 21.02.2019 तक |
| 05 | काउन्सिलिंग तिथि | 22.02.2019 से 25.02.2019 तक |
| 06 | समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को संविदा पर नियोजन हेतु पत्र निर्गत करना | 26.02.2019 से 02.03.2019 तक |

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये कार्यक्रम की छायाप्रति/ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र की आरक्षण कोटिवार रिक्ति का ब्यौरा नियोजन के लिये आवश्यक अर्हता संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु अपने स्तर से तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव/ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन की प्रकिया पूर्ण कर ली जाय एवं तत्संबंधी सूचना/प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/1/19

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

10/1/19
जिला पंचायत राज पदा0

उप समाहर्त्ता

समाहरणालय मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
पत्रांक............/पं0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक........../......../2019

विषय : **बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 तथा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में कमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग : संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1453, दिनांक–13.03.2018 एवं विभागीय पत्रांक–4695, दिनांक–12.07.2016 तथा विभागीय पत्रांक–4696, दिनांक–12.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 तथा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एव कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में कमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर में निहित संगत प्रावधान के आलोक में जिला स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के शेष रिक्त पदों पर चयन हेतु निम्नांकित विवरणी अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित की गयी हैः–

| कं0 | कार्यक्रम | निर्धारित तिथि/अवधि |
|---|---|---|
| 01 | जिले स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर जिले के ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की रिक्ति की विवरणी का प्रकाशन एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि | प्रकाशन 11.01.2019 को, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि–25.01.2019 तक |
| 02 | प्राप्त आवेदन के आधार पर पैनल का प्रकाशन | 26.01.2019 से 30.01.2019 तक |
| 03 | पैनल पर आपत्ति प्राप्त करना | 31.01.2019 से 14.02.2019 तक |
| 04 | पैनल पर प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरान्त अंतिम रूप से पैनल का प्रकाशन | 15.02.2019 से 21.02.2019 तक |
| 05 | काउन्सिलिंग तिथि | 22.02.2019 से 25.02.2019 तक |
| 06 | समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को संविदा पर नियोजन हेतु पत्र निर्गत करना | 26.02.2019 से 02.03.2019 तक |

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये कार्यक्रम की छायाप्रति/ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र की आरक्षण कोटिवार रिक्ति का ब्यौरा नियोजन के लिये आवश्यक अर्हता संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु अपने स्तर से तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव/ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन की प्रकिया पूर्ण कर ली जाय एवं तत्संबंधी सूचना/प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

KEAMS

ज्ञापांक ....60....../पं0 मधेपुरा, दिनांक ...10..../...01..../2019

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं संबंधित सूचना मधेपुरा जिले के वेबसाईट पर अपलोट करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त सूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन्सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज, कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त सूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/1/11

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

KEXAMS

20,0/L

2018

56

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–8प/स्था0–02–02/2018–......4531.../पं0रा0

बिहार सरकार

वरीय प्रभारी पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

शाखा.........

हरेन्द्र नाथ दूबे, भा0प्र0से0

संयुक्त सचिव

समाहरणालय मधेपुरा 18 .. 2018

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
(दरभंगा, औरंगाबाद एवं मुंगेर को छोड़कर)

पटना, दिनांक ....16./08../2018

विषयः– बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 तथा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में क्रमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1453 दिनांक–13.03.2018 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर संगत नियमावलियों के आलोक में नियोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

ज्ञातव्य हो कि ग्राम कचहरियों में रिक्त पदों पर नियोजन नहीं होने के कारण ग्राम कचहरी के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है। उक्त के आलोक में आपके स्तर से कृत **कार्रवाई की सूचना विभाग को अप्राप्त है।**

**अतएव पुनः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की रिक्तियों का आकलन कर संदर्भित नियमावलियों के आलोक में संविदा पर नियोजन हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।**

849
18-8-18

**अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।**

विश्वासभाजन

13/8/18

**(हरेन्द्र नाथ दूबे)**
संयुक्त सचिव

KEXAMS

पत्रांक-6 ... 2-02 / 2018 / 1453 / प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 13/03/2018

विषय :- बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 तथा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में क्रमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 4695 दिनांक 12.07.2016 एवं विभागीय पत्रांक 4696 दिनांक 12.07.2016 का कृपया संदर्भ करें जिसके द्वारा क्रमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर संगत नियमावलियों के आलोक में नियोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त पत्रों से स्पष्ट है कि पूर्व से जिन ग्राम कचहरियों में न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव नियोजित हैं, वैसी ग्राम कचहरियों में सरकार के अगले आदेश या ग्राम कचहरी का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो पहले हो, यथास्थिति वैसे न्यायमित्र अथवा ग्राम कचहरी सचिव कार्यरत रहेंगे। अतः वर्तमान में केवल वैसी ग्राम कचहरियों में न्यायमित्र या ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जायेगा जहाँ कोई न्यायमित्र अथवा ग्राम कचहरी सचिव नियोजित नहीं हैं अर्थात पद रिक्त हैं। न्यायमित्र का नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) तथा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के आलोक में किया जायेगा।

3. स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे नियोजित न्यायमित्र तथा ग्राम कचहरी सचिव का कार्यकाल वर्तमान ग्राम कचहरी के कार्यकाल तक ही रहेगा। अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत न्यायमित्रों तथा ग्राम कचहरी सचिव की रिक्तियों का आकलन कर संदर्भित

C:\Saurabh Suman-Raghunath sir doc\letter 2018.docx

नियमावलियों के आलोक में संविदा पर नियोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाये तथा कृत कार्रवाई से विभाग को निम्न प्रपत्र में दो महीने के अन्दर अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

प्रपत्र

| जिले का नाम | प्रखंड का नाम | ग्राम कचहरी की संख्या जहां न्यायमित्र का पद रिक्त था | ग्राम कचहरी की संख्या जहां कचहरी सचिव का पद रिक्त था | ग्राम कचहरी की संख्या जहां न्यायमित्र नियोजित किये गये | ग्राम कचहरी की संख्या जहां ग्राम कचहरी सचिव नियोजित किये गये | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

ईमेल द्वारा

# समाहरणालय, मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

पत्रांक....42..../पं0

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक ........................................./

**विषय :-** **बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के अधीन ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग :- विभागीय अधिसूचना संख्या-63, दिनांक 05.01.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक संदर्भ में बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के अधीन ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-63, दिनांक 05.01.2015 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः निदेश है कि विभागीय दिशा निर्देशो के अधीन सम्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्न :- विभागीय अधिसूचना 05 पन्नों में।

विश्वासभाजन

सo/-

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक....42..../पं0, दिनांक....17-1-15................................/

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

17/1/15

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

संख्या 63 पटना, दिनांक 05/01/2015

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा–94(1) के साथ पठित धारा–146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

## बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाएं।**– जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006);

   (ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ग) "जिला पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिला का जिला दण्डाधिकारी;

   (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडल का आयुक्त;

   (ङ) "ग्राम कचहरी" से तात्पर्य है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–90 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी;

   (च) "सरपंच" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–93(1) के अधीन ग्राम कचहरी का निर्वाचित सरपंच;

   (छ) "ग्राम कचहरी का पंच" से अभिप्रेत है किसी ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच;

   (ज) "अनुमंडल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमंडल का अनुमंडल दंडाधिकारी;

   (झ) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी;

   (ञ) "वाद" से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय वाद;

   (ट) "प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रखंड में इस पद पर नियुक्त कोई पदाधिकारी;

   (ठ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3. **ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन।**– इस नियमावली के नियम 11 में यथासमनुदेशित कृत्यों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का, संविदा के आधार पर, नियोजन किया जा सकेगा।

ग्राम कचहरी सचिव के रूप में सेवा संतोषजनक रहने पर संबंधित कर्मी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए सेवा में बने रहने हेतु अवधारित आयु सीमा तक सेवा में रह सकेंगे अन्यथा इस नियमावली के नियम–12 के कार्रवाई द्वारा हटा दिए जा सकेंगे।

4. **आरक्षण।**– (1) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए भी प्रभावी होंगे।

(2) प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णांकित पदों पर, यथाशक्य, 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

5. **नियोजन हेतु अर्हत्ता।**–

(1) **शैक्षणिक योग्यता:**– शैक्षणिक अर्हता इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होगी;

परन्तु स्नातक डिग्रीधारक या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित अर्हताधारक अभ्यर्थियों को मेधा क्रम अवधारण में अधिमानता (Weightage) दी जाएगी।

(2) **आयु:**– जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्ग तीन के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है;

परन्तु, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर संविदा पर नियोजन के लिए सेवा में बने रहने हेतु निर्धारित आयु सीमा ग्राम कचहरी सचिव नियोजन के लिए भी प्रभावी होंगे।

(4) **कार्यानुभव:**– किसी प्रकार का पूर्व कार्यानुभव आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु, ग्राम कचहरी सचिव के पद के कार्य अनुभव के लिए मेधा क्रम अवधारण में अधिमानता (Weightage) दी जाएगी।

6. **नियोजन की प्रक्रिया।**– (1) जिला स्तर के लिए लागू रोस्टर के आधार पर, जिला के सभी ग्राम कचहरी सचिव की आरक्षण कोटिवार रिक्ति का ब्योरा, नियोजन के लिए शर्तों एवं अर्हताओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। जिला के संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत, संबंधित ग्राम कचहरी तथा जिला के जिला परिषद्, के कार्यालय के सूचना पट पर भी, इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र (अनुसूची–I) में पंचायती राज विभाग द्वारा विहित रीति से, केवल ऑनलाईन (Online) प्राप्त किये जायेंगे।

(3) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा नये सचिव के नियोजन हेतु मेधा–अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा।

(4) ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ढ़ाई प्रतिशत अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि छः माह से अधिक है तो उसे

एक वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए ढाई प्रतिशत अंक देय होगा। परन्तु, इस प्रकार प्राप्त भारांक (Weightage) 12.5 प्रतिशत से अनधिक होगा।

(5) उप नियम (4) में कार्यानुभव के लिए प्रावधानित अंकों के अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारक को 10 प्रतिशत अंको की तथा स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को 20 प्रतिशत अंको की अधिमानता देय होगी।

(6) ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा:–

(क) ग्राम कचहरी के सरपंच – अध्यक्ष

(ख) ग्राम कचहरी के उप सरपंच – सदस्य

(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी – सदस्य सचिव

*(नोटः– जहाँ सरपंच का पद रिक्त हो, वहाँ, उप–सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखनेवाले हों।)*

(7) समिति की बैठक में मेधा सूची नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा अनुमोदन हेतु रखी जाएगी।

(8) अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति, अगर कोई हो, देने हेतु 15 दिनों का समय दिया जाएगा। प्राप्त आपत्ति के लिए आपत्तिकर्त्ता को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। समिति एक सप्ताह में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगी और मेधा सूची पुनः प्रकाशित की जाएगी एवं उसकी एक प्रति पूर्ण कार्यवाही के साथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी।

(9) प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची की जाँच करेंगे और उसे अधिकतम 15 दिनों के अन्दर अनुमोदित करने का प्रयास करेंगे। यदि 21 दिनों में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुमोदन या अन्यथा कोई आपत्ति की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सूची उनके द्वारा अनुमोदित समझी जाएगी एवं अनुमोदित सूची ग्राम कचहरी के सूचना पट पर पुनः प्रदर्शित की जाएगी और सफल अभ्यर्थी को सरपंच के हस्ताक्षर एवं मुहर से निबंधित डाक के द्वारा नियोजन पत्र (अनुसूची–II) निर्गत किया जाएगा। यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी से कोई आपत्ति है तो समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा।

(10) सफल अभ्यर्थी से प्राप्त सहमति पत्र (अनुसूची–III) के आधार पर समिति द्वारा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच कर योगदान स्वीकृत किया जायेगा। प्रमाण–पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. अपील।– इस नियमावली के अधीन ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन संबंधी मामले में किसी भी प्रकार की अपील ऐसे नियोजन के 30 (तीस) दिनों के भीतर संबंधित जिला पंचायती राज पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। प्राप्त अपील पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी सक्षम होंगे। यदि जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 45 दिनों के अन्दर अपील पर कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं दिया जाता है तो नियोजन बरकरार रखा जाएगा।

8. **सेवा संबंधी अन्य शर्तें।**– (1) ग्राम कचहरी अपने द्वारा नियोजित सचिवों को नियत मानदेय का भुगतान करेगी। सचिव के नियत मानदेय, जो सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि से कम नहीं होगा, का अवधारण ग्राम कचहरी की अपने आय स्रोतों, जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित होगा, का

आकलन कर किया जाएगा। नियत मानदेय की राशि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा तय की जायेगी।

(2) नियोजित सचिव प्रत्येक कार्य दिवस को ग्राम कचहरी में संधारित उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

(3) नियम–12 में उल्लिखित कारणों या अन्यथा सेवा असंतोषप्रद पाए जाने पर, ग्राम कचहरी सचिव को, अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर देकर, उन्हें लघु दण्ड एवं वृहत दण्ड दिया जा सकेगा।

(4) यदि किसी ग्राम कचहरी विशेष में सचिव का पद रिक्त हो जाए तो उस ग्राम कचहरी के कार्यों के सम्पादन हेतु, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी समीपवर्ती (Contiguous) ग्राम कचहरी के सचिव को उस अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा जब तक उस ग्राम कचहरी में नयी नियुक्ति नहीं हो जाती है। प्रतिनियुक्त सचिव को, नियत मानदेय का 30 (तीस) प्रतिशत राशि, प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में, अधिकतम छः माह तक के लिए, उस ग्राम कचहरी से देय होगा जहाँ उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है।

(5) संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव की कार्यावधि ग्राम कचहरी की कार्यावधि तक के लिए होगी। ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने पर ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी;

परन्तु राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना द्वारा उनकी कार्य अवधि का विस्तार कर सकेगी;

परन्तु यह भी कि नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा संविदा पर नए सिरे से नियोजन पूर्ण होने तक वह ग्राम कचहरी सचिव के कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहण करते रहेंगे और नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नवनियोजित ग्राम कचहरी सचिव को अपना प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

9. **नियत मानदेय का भुगतान।**– अनुपस्थिति प्रतिवेदन/विवरणी के आधार पर सरपंच एवं उप–सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से मानदेय वेतन का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु यह कि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच अथवा उप–सरपंच या दोनों में से किसी एक या दोनों पद के रिक्त रहने पर पंचों के अपने बीच से बहुमत द्वारा चयनित एक/दो पंचों के संयुक्त हस्ताक्षर से नियत मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

10. **छुट्टी।**– (1) ग्राम कचहरी सचिवों को वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। एक बार में 5 (पाँच) दिनों से अधिक के लिए आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।

(2) उपर्युक्त वर्णित अवकाश की स्वीकृति ग्राम कचहरी में सरपंच अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच द्वारा दी जाएगी।

11. **ग्राम कचहरी सचिव के कृत्य एवं दायित्व।**– (1) ग्राम कचहरी में दायर मामलों से संबंधित वाद–पंजी एवं वाद–अभिलेखों का संधारण एवं अभिरक्षण;

(2) ग्राम कचहरी से संबंधी लेखा पंजी/रोकड़ पंजी एवं अन्य सभी प्रकार के पंजियों का संधारण एवं अभिरक्षण;

(3) सरपंच/न्यायपीठ के समक्ष वाद अभिलेखों एवं पंजियों का उपस्थापन तथा वाद संबद्ध पक्षों को सूचना/सम्मन का तामिला;

(4) ग्राम कचहरी/न्यायपीठ से संबंधित अन्य सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन;

(5) ग्राम कचहरी के कारबार के संचालन के संबंध में, समय–समय पर, सौंपे गए अन्य दायित्व।

12. अनुशासनिक कार्रवाई।– (1) ग्राम कचहरी में अनियमित रूप से उपस्थित रहने, समयानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करने तथा कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने संबंधी आरोपों के लिए ग्राम कचहरी के सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच के द्वारा सचिव से स्पष्टीकरण लेकर उसके पुनर्विलोकन के पश्चात् आवश्यकतानुसार दण्ड देने पर विचार किया जा सकेगा;

परन्तु, नियोजन काल में दो निन्दन की सजा होने पर उसकी सेवा स्वतः समाप्त समझा जाएगी।

(2) भ्रष्ट आचरण, कदाचार एवं मानसिक दिवालियापन संबंधी आरोपों की स्थिति में ग्राम कचहरी के सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच ग्राम कचहरी सचिव से स्पष्टीकरण लेकर उसकी जाँच करने के पश्चात्, आवश्यकतानुसार, उसे सेवामुक्त करने पर विचार कर सकेंगे।

(3) किसी भी मामले में जेल में बिताई गई अवधि के दौरान ग्राम कचहरी सचिव स्वतः निलंबित समझे जायेंगे। निलंबन अवधि में नियत मानदेय की 50 (पचास) प्रतिशत राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में देय होगी।

(4) विभागीय कार्रवाई / कार्यवाही के क्रम में जिसमें आरोप गठित किए गए हों, उचित सत्यापन के बाद, यदि ग्राम कचहरी सचिव दोषी पाया जाए तो उसे निम्न दण्ड दिए जा सकेंगे :–

(i) दण्ड – निन्दन

(ii) दो निन्दन की सजा दिए जाने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

13. सरपंच के निर्णय के विरूद्ध अपील।– सरपंच के निर्णय के विरूद्ध अपील, ऐसे निर्णय के पारित किए जाने के 30 दिनों के अन्दर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी, जिसकी सुनवाई जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।– राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को अधिसूचना / अनुदेश के द्वारा दूर कर सकेगी।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (1) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 तथा उक्त से संबंधित आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस नियमावली, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किए गए कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अन्तर्गत की गई समझी जाएगी मानो यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/12/14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8प / वि–4–1011 / 2011 / 63 / पं०रा० पटना, दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

29/12/14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8प / वि–4–1011 / 2011 / ....63...... / पं०रा०　　　　　　　　पटना, दिनांक ..05 / 01.. / 2015

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार / मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8प / वि–4–1011 / 2011 / .....63...... / पं०रा०　　　　　　　　पटना, दिनांक ..05 / 01 / 2015

प्रतिलिपि – सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची–I

आवेदन प्रपत्र

<u>ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र</u>

(जो लागू हो, उसे (✓) करें)

| स्वयं अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो |
|---|

1. नियोजन के प्रखंड एवं ग्राम कचहरी का नाम :–
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. (क) पिता / पति का नाम :–
   (ख) माता का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐ 6. अर्हता की तिथि को आयु ☐ वर्ष ☐ माह ☐ दिन
7. स्थायी पता :– ग्राम / शहर / मोहल्ला / सड़क / ..............................................................................................................................
   ..............................................................................................................................
   थाना :– .............................. जिला :– .............................. पिन कोड :– ..............................
8. पत्राचार का पता :–ग्राम / मोहल्ला / सड़क / शहर ..............................................................................................................................
   ..............................................................................................................................
   थाना :– .............................. जिला :– .............................. पिन कोड :– ..............................
9. जाति :– सामान्य ☐ आरक्षित ☐
10. आरक्षण की कोटि :–अ०जा० ☐ अ०ज०जा० ☐ अ०पि०व० ☐ पि०व० ☐
11. यदि विकलांग हो तो :– दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
12. योग्यता :–

| शैक्षणिक | विद्यालय / बोर्ड का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | कुल प्राप्तांक | प्रतिशत अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| इंटर | | | | |
| स्नातक | | | | |
| स्नातकोत्तर | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान ........................

तिथि ........................ आवेदक का हस्ताक्षर

KEXAMS

## प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती ........................................................................ से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या ........................ है।

दिनांक :– ........................

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
(मुहर के साथ)

## आवश्यक अनुदेश

1. आवेदन पत्र ग्राम कचहरी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित पत्र द्वारा भेजा जाए।
2. आवेदन पत्र के साथ दो 10"× 6" साईज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना है।
3. आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र / अंक पत्र / जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जिनका चयन होगा वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र / जाति प्रमाण पत्र के साथ–साथ उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे।
5. नियोजन के पूर्व यथाआवश्यक निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
6. छाया प्रति के आधार पर यथाआवश्यक जाँच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7. काउन्सिलिंग / योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :–

| | | |
|---|---|---|
| अ०जा० | – | अनुसूचित जाति |
| अ०ज०जा० | – | अनुसूचित जन जाति |
| अ०पि०व० | – | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| पि०व० | – | पिछड़ा वर्ग |

## अनुसूची–II

### बिहार ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

सेवा में,

श्री / सुश्री / श्रीमती ............................................

..........................................................................

..........................................................................

प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि ............................ .................................................................. प्रखंड के अन्तर्गत ........................................... ग्राम कचहरी में .................. ...................................................... के रूप में नियोजित करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अन्दर उपरोक्त ग्राम कचहरी में योगदान दें।

तिथि :–

स्थान :–

सरपंच का हस्ताक्षर

पूरा नाम, कार्यालय तथा मुहर

---

## अनुसूची–III

### सहमति पत्र

मैं ............................................................................ पिता ............................................................

माता ...................................................................... पता ...............................................................

............................................................................................ बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2013 में अंकित शर्त्तों के अधीन ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

पूरा नाम :– ...........................................

पता :–

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

## अधिसूचना

संख्या–8प/वि0–04–08/2015/............/पं0रा0 पटना, दिनांक ............../2016

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 94(2) सहपठित धारा–146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–(1) यह नियमावली **बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 6 के उप नियम (5) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा:–

"दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान रहने पर उम्र में वरीयतम अभ्यर्थी को नियोजन में वरीयता दी जाएगी।"

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह0/–

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:–8प/वि0–04–08/2015/............/पं०रा० पटना, दिनांक:....../....../2016

प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की एक हजार प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:–8प/वि0–04–08/2015/5031/पं०रा० पटना, दिनांक: 27/07/2016

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

26/7/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

KEXAMS

Government of Bihar
Panchayati Raj Department

## Notification

No.-8Pa/Vi.-04-08/2015/---------/P.R. Patna, Dated--------/2016

In exercise of the powers conferred by section 94(2) read with section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007:-

1. **Short title, extent and commencement**-(1) These rules may be called the Bihar Gram katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. **In sub-rule (5) of Rule 6 of the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007 the following sentence shall be added:-**

"When two or more than two candidates have equal marks, the candidate being senior in age shall be given preference in employment."

**By order of the Governor of Bihar,**

**Sd/-**
**(Arvind Kumar Chaudhary)**
Secretary to the Government

Memo No. 8Pa/Vi.-04-08/2015/.............../P.R. Patna, Dated ......./......./2016
Copy forwarded to the Officer in-Charge, e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in next extraordinary issue of the Bihar, Gazette.

He is requested to make available 1000 copies of this notification to the Panchayati Raj Department, Bihar, Patna immediately.

Sd/-

**(Arvind Kumar Chaudhary)**

Secretary to the Government

Memo No. 8Pa/Vi.-04-08/2015/..5031../P.R. Patna, Dated 27./.07./2016

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/Development Commissioner, Bihar /Principal Secretary to the Chief Minister, Bihar/ All Departments and Heads of all the Department/All Divisional Commissioners/ All District Magistrates/All Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Zila Parishad/State Election Commissioner, Bihar, Patna/All Divisional Deputy Directors, Panchayat Raj/All District Panchayat Raj Officers/All Principals, Zila Panchayat Raj Training Institute/All Principals, Mukhiyas-Sarpanchs Training Institute/All Chief Executive Officers, Municipal Corporation/All Executive Officer, Nagar Parishad and Nagar Panchayat for information.

26/7/2016

**(Arvind Kumar Chaudhary)**

Secretary to the Government

अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक:–8प/वि0–4–1011/2011/ 4695 /पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 12 / 07 / 2016

विषय: बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के आलोक में ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 8प/वि0–4–1011/2011/4089/पं0रा0 दिनांक–08.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के आलोक में ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन के संबंध में प्रक्रिया आरम्भ करने का निदेश दिया गया था।

इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

1. ग्राम कचहरी में पूर्व से संविदा पर नियोजित सचिवों को अगले आदेश अथवा ग्राम कचहरियों के वर्तमान कार्यकाल, जो पहले हो, तक के लिए कार्य अवधि विस्तार किया जाये।
2. वैसे ग्राम कचहरी जहाँ सचिव का पद रिक्त है, वहाँ बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के आलोक में सचिवों के संविदा पर नियोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्रवाई की जाये।

विश्वासभाजन

12/07/16

(कुलदीप नारायण)
निदेशक

EF-228116052-IN

D:\Kanchan\2015\Rakesh sir.docx

(80585)

(21)

अतिमहत्वपूर्ण
ई-मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक–8प / वि0–4–1011 / 2011 / 4089 / पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

प्रेषक,
कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

09 JUN 2016

पटना, दिनांक 08 / 06 / 2016

विषय:– बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के आलोक में ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निदेशानुसार कहना है कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका–8(5) में यह प्रावधान है कि संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव की कार्यावधि ग्राम कचहरी की कार्यावधि तक के लिए होगी। ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने पर ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

पूर्व में बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 (अब निरस्त) की कंडिका–5(क) (ii) के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता माध्यमिक (मैट्रिक) परिक्षोत्तीर्ण निर्धारित थी। वर्तमान में प्रवृत्त बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका–5(1) में ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियोजन हेतु शैक्षणिक अर्हत्ता इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हत्ता निर्धारित की गयी है। पंचायत आम चुनाव–2016 के पश्चात् बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के आलोक में नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा सचिव की नियुक्ति नये सिरे से की जानी है।

अतः बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि नियमावली के आलोक में ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन हेतु आवश्यक कारंवाई की जाये।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाये।

इसमें विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
08/06/16
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

465
9.6.16

ज्ञापांक–8प / वि0–4–1011 / 2011 / 4089 / पं0रा0 पटना, दिनांक 08 / 06 / 2016

प्रतिलिपि– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधितो को इसकी सूचना देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।

08/06/16
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

8-6-16
o/c

जिला पंचायत कार्यालय, मधेपुरा
ज्ञापांक - 972 / पं0, दिनांक - 10-06-2016
प्रतिलिपि: सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं उक्त पत्र में निहित निदेश के आलोक में अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

## अधिसूचना

संख्या 59 पटना, दिनांक 01/04/2015

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 94(2) सहपठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।– (1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 8 का उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(2) ग्राम कचहरी में संविदा के आधार पर नियत फीस के भुगतान पर नियोजित न्याय मित्रों का नियोजन संबंधित ग्राम कचहरी में तब तक बना रहेगा जब तक नवगठित ग्राम कचहरियों हेतु न्यायमित्रों की नियुक्ति नहीं हो जाती है या इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संविदा पर कार्यरत न्यायमित्रों की सेवा समाप्त नहीं की जाती है,

परन्तु ग्राम कचहरियों में न्यायमित्रों की सेवा की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार संविदा पर पूर्व से नियोजित न्यायमित्रों को संबंधित ग्राम कचहरियों में कार्य करने के लिए उन शर्तों एवं बंधेजों के अधीन प्राधिकृत कर सकती है जो राज्य सरकार विहित करे।

निर्वाचन के बाद नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा यथाशीघ्र न्यायमित्र के चयन की कार्रवाई की जाएगी। नई ग्राम कचहरी द्वारा पूर्व से कार्यरत न्यायमित्र को दोबारा चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
1/4/2015
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–8पं0 / वि0–5–130 / 2013 – 2075 दिनांक 01/04/2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1/4/2015
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–8प0 / वि0–5–130 / 2013 - 2075 दिनांक 01/04/ 2015

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार / मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

1/4/2015

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–8प0 / वि0–5–130 / 2013 - 2075 दिनांक 01/04/ 2015

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार विधान परिषद / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता को सूचनार्थ अग्रसारित।

1/4/2015

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–8प0 / वि0–5–130 / 2013 - 2075 दिनांक 01/04/ 2015

प्रतिलिपि–आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट **www.biharprd.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

1/4/2015

सरकार के प्रधान सचिव

**समाहरणालय, मधेपुरा।**

(पंचायत कार्यालय)

ज्ञापांक 321 /पं0, मधेपुरा, दिनांक 18-4-15/2014

**प्रतिलिपि :** सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में सम्यक कार्रवाई कर एक पक्ष के अन्दर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**प्रतिलिपि :** जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** उप विकास आयुक्त, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

18/4/15

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

17/4/15

अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–8प / वि0–4–1010 / 2011 / 4696 / पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 12 / 07 / 2016

विषयः– बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों के नियोजन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 8प / वि0–4–1010 / 2011 / 3874 / पं0रा0 दिनांक–01.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 एवं बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों के नियोजन के संबंध में प्रक्रिया आरम्भ करने का निदेश दिया गया था।

इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

1. ग्राम कचहरी में पूर्व से संविदा पर नियोजित न्यायमित्रों को अगले आदेश अथवा ग्राम कचहरियों के वर्तमान कार्यकाल, जो पहले हो, तक के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2. वैसे ग्राम कचहरी जहाँ न्यायमित्र का पद रिक्त है, वहाँ बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 एवं बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में न्यायमित्रों के संविदा पर नियोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्रवाई की जाये।

विश्वासभाजन

12/07/16

(कुलदीप नारायण)
निदेशक

EF-228116052-IN

D:\Kanchan\2015\Rakesh sir.docx

अतिमहत्वपूर्ण
ई-मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक:—8प / वि0—4—1010 / 2011 / 3874 / पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 01 / 06 / 2016

विषय:— बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों के नियोजन हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निदेशानुसार कहना है कि बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 की कंडिका—8(2) में यह प्रावधान है कि ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने के साथ न्यायमित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी का संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

पंचायत आम चुनाव—2016 के पश्चात् बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा न्यायमित्र की नियुक्ति नये सिरे से की जानी है।

अतः बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 एवं बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि नियमावली के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों के नियोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाये।
इसमें विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:—यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
31/05/16
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक—8प / वि0—4—1010 / 2011 / 3874 / पं0रा0 पटना, दिनांक 01/05/2016

प्रतिलिपि—सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधितों को इसकी सूचना देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।

31/05/16
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

जिला पंचायत कार्यालय मधेपुरा
ज्ञापांक — 892 / पं0, मधेपुरा दिनांक — 03.06.16
प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि पत्र में निहित निदेश एवं संलग्न नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदा0, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(17)

निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1928 (श०)

(सं० पटना 175) पटना, शनिवार 24 फरवरी 2007

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज,

विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

पंचायत राज निदेशालय

अधिसूचना

23 फरवरी 2007

सं० 708—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 2006 की धारा-94 (2) के साथ पठित धारा-146, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार-राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :-जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006)

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-राज्य सरकार।

(ग) "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्त्ता।

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडल का आयुक्त।

(ङ) "ग्राम कचहरी" से तात्पर्य है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-90 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी।

(च) "सरपंच" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-93 (1) के अधीन ग्राम कचहरी का निर्वाचित सरपंच।

(छ) "ग्राम कचहरी का पंच" से अभिप्रेत है किसी ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच।

(ज) "अनुमंडल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किसी अनुमंडल का दंडाधिकारी और इसके अन्तर्गत शामिल कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन (अनुमंडल) दण्डाधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वाहन करने के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त करे।

(झ) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी।

(ञ) "ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक" से अभिप्रेत है राज्य में ग्राम पंचायतों एवं उसकी परिसीमा में आनेवाली ग्राम कचहरी या उसके न्यायापीठों के लेखाओं एवं बहियों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त प्रखंड स्तरीय पंचायत पदाधिकारी या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी।

(ट) 'वाद' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय वाद,

(ठ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

ग्राम कचहरी न्याय मित्रों का नियोजन :- जिले के प्रत्येक ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी।

आरक्षण :-

(क) रोस्टर का निर्माण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 458 दिनांक 30.9.2002 के आलोक में जिला स्तर पर किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक कोटि में यथाशक्य 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा।

(ग) महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी कोटि के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

(घ) पदों के समूहीकरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संकल्प संख्या - 2803 दिनांक 03.10.2006 द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के तहत निःशक्त व्यक्तियों का आरक्षण देय होगा।

णी :- मेधा के आधार पर चयन होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को विकलांग होने के कारण नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

नियुक्ति हेतु :-

(क) अर्हता :-

(i) भारत का नागरिक हों तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हों,

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम विधि स्नातक डिग्रीधारी प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा।

(ख) आयु :-

जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

नियोजन की प्रक्रिया :- (1) जिले के प्रत्येक ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) जिला स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर जिले के न्यायमित्र की रिक्ति की विवरणी (आरक्षण के दृष्टिकोण से), नियुक्ति की शर्तें एवं नियुक्ति हेतु अर्हताएं जिला परिषद् कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जायगी।

(3) विहित प्रपत्र (अनुसूची–1) में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस निमित्त ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक अथवा उसकी अनुपस्थिति में प्रखंड स्तरीय किसी अन्य पर्यवेक्षक को नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा प्राप्ति के बाद प्राप्ति रसीद आवेदक को देंगे एवं प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को ग्राम कचहरीवार पंजी में संधारित करेंगे।

(4) ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(5) मेधा निर्धारण में विधि स्नातक डिग्रीधारी के अंकों को आधार बनाया जाएगा।

(6) ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा :–

(क) ग्राम कचहरी के सरपंच – अध्यक्ष

(ख) ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच – सदस्य

(ग) ग्राम कचहरी सचिव – सदस्य सचिव

(7) समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को "फैसिलिटेटर" के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

(8) समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निश्चित रूप से भेजी जाएगी।

(9) समिति के अनुमोदनोपरान्त आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक माह के अन्दर उक्त पैनल को जिला पदाधिकारी का कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना–पट पर प्रकाशित किया जाएगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु पन्द्रह दिनों का समय दिया जाएगा।

(10) पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दायर किया जाएगा।

(11) प्राप्त आपत्ति के लिए आपत्तिकर्त्ता को प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

(12) आपत्ति का निराकरण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि के सात दिनों के अन्दर किया जाएगा एवं तत्पश्चात् ग्राम कचहरी को सूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार ग्राम कचहरी आवश्यकतानुसार पैनल संशोधित करेंगे एवं पुनः पैनल को उपनियम–(9) के अनुसार पूर्व की तरह प्रकाशित करेंगे।

(13) अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा।

(14) सर्वप्रथम ग्राम कचहरीवार मेधा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी की रिक्ति भरी जाएगी।

(15) काउंसिलिंग तिथि का प्रकाशन जिला पदाधिकारी का कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना पट पर किया जाएगा। काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों की उपस्थिति की प्राप्ति दी जायेगी।

(16) समिति द्वारा ग्राम कचहरी के लिए चयनित अभ्यर्थी को संविदा पर नियोजन हेतु पत्र (अनुसूची–II) ग्राम कचहरी सचिव द्वारा प्रमाण–पत्रों के सत्यापन उपरान्त भेजा जाएगा। सहमति पत्र (अनुसूची–III) के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

(17) ग्राम कचहरी की मेधा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी के रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरीवार तैयार किए गये पैनल को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेधा सूची से अवरोही क्रम में उपर्युक्त समिति द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर रिक्ति को भरा जा सके।

7. प्रमाण पत्रों की जाँच।– पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वे योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे। प्रमाण–पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8. सेवा संबंधी अन्य शर्तें :–

(1) न्याय मित्रों को नियत शुल्क (संविदा राशि) के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें रु० 2,500/– (कुल दो हजार पाँच सौ रु०) प्रतिमाह देय होगा।

(2) ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने के साथ न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी का संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(3) यह नियुक्ति संविदा के आधार होगी और किसी भी समय सेवा असंतोषप्रद तथा नियम–11 में उल्लेखित कारणों के आलोक में एक माह की पूर्व सूचना देकर न्याय मित्र के पद पर संविदा को रद्द किया जा सकेगा।

(4) उपयुक्त कोटि का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर किसी ग्राम कचहरी विशेष के न्याय मित्र की रिक्ति को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा समीपवर्ती (Contiguous) ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के द्वारा अतिरिक्त प्रभार देकर भरा जाएगा। अतिरिक्त प्रभार के लिए संविदा राशि की 20 (बीस) प्रतिशत राशि प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में देय होगा।

(5) नियोजना के पूर्व चयनित उम्मीदवार को विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करना होगा।

9. संविदा राशि का भुगतान :–

अनुपस्थिति प्रतिवेदन/विवरणी के आधार पर सरपंच/उप–सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु यह कि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच अथवा उप–सरपंच दोनों में से किसी एक पद के रिक्त रहने पर पंचों में से आपस में बहुमत द्वारा चयनित एक पंच के संयुक्त हस्ताक्षर से संविदा राशि का भुगतान किया जाएगा।

KEXAMS

10. न्याय मित्र द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य :– अधिनियम की धारा–94(2) के अध्यधीन नियुक्त न्याय मित्र :–

(1) ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच एवं पंचों न्यायिक को कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं निष्पादन में हर कानूनी पहलू की जानकारी देगा।

(2) ग्राम कचहरी के समक्ष पेश किए गये प्रत्येक मामले की अधिनियम की धारा–106, 110, 111 एवं 113 यथास्थिति के अधीन ग्राम कचहरी की अधिकारिता निर्धारण में तथा कोई वाद ग्राम कचहरी के समक्ष सुनवाई योग्य है या नहीं अथवा कोई वाद किसी ग्राम कचहरी के किसी न्यायपीठ द्वारा संज्ञान लिए जाने योग्य है या नहीं, के निर्धारण में सरपंच/न्यायपीठ को विधिक सहायता देगा।

(3) ग्राम कचहरी के न्यायपीठ/पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष लाये गये वादों की सुनवाई संबंधित निर्धारित तारीखों को सरपंच द्वारा निदेशित/आदेशित सभी आदेश पत्रकों को लिखने में सरपंच की सहायता करेगा।

(4) न्यायपीठ/पूर्ण न्यायपीठ द्वारा किसी वाद की सुनवाई के दौरान वह विधि संबंधित किसी मुद्दे पर कानूनी पक्ष की जानकारी सरपंच एवं संबंधित पंचों को देगा।

(5) अधिनियम के अध्याय–VI में वर्णित उपबंधों के अध्यधीन ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं प्रक्रियाओं के सम्यक, ससमय, समुचित एवं न्यायोचित निष्पादन में ऐसी सभी सहायता एवं सेवाएं समर्पित करेगा जैसा कि सरपंच या न्यायपीठ/पूर्ण न्यायपीठ उससे विहित रूप से अपेक्षा करे।

(6) ग्राम कचहरी के संचालन के संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्व।

11. अनुशासनिक कार्रवाई ।– ग्राम कचहरी से अनुपस्थित रहने, समयानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने तथा कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता, भ्रष्ट आचरण, मानसिक दिवालियापन की स्थिति में ग्राम कचहरी के सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय इस नियमावली के कंडिका–6(6) की समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में संबंधित ग्राम कचहरी सचिव द्वारा यथोचित कार्रवाई किया जाएगा।

12. शिकायत ।– इस नियमावली के अधीन ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के संविदा पर नियोजन संबंधी मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत ऐसे नियोजन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। प्राप्त शिकायत पर निर्णय लेने की शक्ति अनुमंडल दण्डाधिकारी की होगी। संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अन्दर शिकायतों पर निर्णय दे देंगे।

13. अपील ।– अनुमंडल दण्डाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील, ऐसे निर्णय के पारित किये जाने के तीस दिनों अन्दर संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष दायर की जायेगी, जिसकी सुनवाई जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी, जो अपर जिला दण्डाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी होंगे, द्वारा की जायेगी। सुनवाई के पश्चात् निर्णय पारित किया जायेगा।

14. प्रकीर्ण ।– राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को अधिसूचना/अनुदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०)–अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची–I

## आवेदन प्रपत्र

## ग्राम कचहरी में न्याय मित्र के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो, उसे (✓) करें)

पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. नियोजन के प्रखंड एवं ग्राम कचहरी का नाम :–
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. (क) पिता/पति का नाम :–
   (ख) माता का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. लिंग :– पुरुष ☐ महिला ☐ 6. अर्हता की तिथि को आयु :– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
7. स्थायी पता :– ग्राम/शहर/मोहल्ला/सड़क/ ..........
   ..........
   ..........
   थाना :– .......... जिला :– .......... पिन कोड :– ..........
8. पत्राचार का पता :– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ..........
   ..........
   ..........
   थाना :– .......... जिला :– .......... पिन कोड :– ..........
9. जाति :– सामान्य ☐ आरक्षित ☐
10. आरक्षण की कोटि :– अ०जा० ☐ अ०ज०जा० ☐ अ०पि०व० ☐ पि०व० ☐
11. यदि विकलांग हो तो :– दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
12. योग्यता :–

| शैक्षणिक | विद्यालय/महाविद्यालय का नाम | बोर्ड/परिषद्/विश्वविद्यालय का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | कुल प्राप्तांक | प्रतिशत अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| विधि स्नातक डिग्रीधारी | | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान ..........

तिथि ..........

आवेदक का हस्ताक्षर

---

### प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती .......... से ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .......... है।

दिनांक :– ..........

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
(मुहर के साथ)

(11)



## आवश्यक अनुदेश

1. आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित पत्र द्वारा भेजा जाए।
2. आवेदन पत्र के साथ दो 10"× 6" साईज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना है।
3. आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र/जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जिनका चयन होगा वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र/जाति प्रमाण पत्र के साथ-साथ उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे।
5. नियोजन के पूर्व यथाआवश्यक निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
6. छाया प्रति के आधार पर यथाआवश्यक जाँच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7. काउन्सिलिंग/योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :—

| | | |
|---|---|---|
| अ०जा० | — | अनुसूचित जाति |
| अ०ज०जा० | — | अनुसूचित जन जाति |
| अ०पि०व० | — | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| पि०व० | — | पिछड़ा वर्ग |

KEXAMS

## अनुसूची–II

### बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

सेवा में

श्री/सुश्री/श्रीमती ..............................................

..............................................

..............................................

प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि .............................................. प्रखंड के अन्तर्गत .............................. ग्राम कचहरी में .............................................. के रूप में नियोजित करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अन्दर उपरोक्त ग्राम कचहरी में योगदान दें।

तिथि :– प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर

स्थान :– पूरा नाम, कार्यालय तथा मुहर

---

## अनुसूची–III

### सहमति पत्र

मैं .............................................. पिता ..............................................

माता .............................................. पता ..............................................

.............................................. बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 में अंकित शर्त्तों के अधीन न्याय मित्र के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक :– पूरा नाम :– ..............................

पता :–

[illegible]
अधीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन एवं मुद्रण, बिहार द्वारा प्रकाशित एवं
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 175—साईनो—571—500—कृष्ण कुमार

निबंधन संख्या पी०टी०-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1937 (श०)

(सं० पटना 528) पटना, मंगलवार, 5 मई 2015

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

1 अप्रील 2015

सं0 8प0/वि0–5–130/2013–2075–59—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–94(2) सहपठित धारा–146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।– (1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 8 का उप–नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(2) ग्राम कचहरी में संविदा के आधार पर नियत फीस के भुगतान पर नियोजित न्याय मित्रों का नियोजन संबंधित ग्राम कचहरी में तब तक बना रहेगा जब तक नवगठित ग्राम कचहरियों हेतु न्यायमित्रों की नियुक्ति नहीं हो जाती है या इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संविदा पर कार्यरत न्यायमित्रों की सेवा समाप्त नहीं की जाती है;

परन्तु ग्राम कचहरियों में न्यायमित्रों की सेवा की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार संविदा पर पूर्व से नियोजित न्यायमित्रों को संबंधित ग्राम कचहरियों में कार्य करने के लिए उन शर्तों एवं बंधेजों के अधीन प्राधिकृत कर सकती है जो राज्य सरकार विहित करे।

निर्वाचन के बाद नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा यथाशीघ्र न्यायमित्र के चयन की कार्रवाई की जाएगी। नई ग्राम कचहरी द्वारा पूर्व से कार्यरत न्यायमित्र को दोबारा चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 1st April 2015*

No. 8P/Vi-5-130/2015-2075-59—In exercise of the powers conferred by Section 94(2) read with Section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the Governor of Bihar is

hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007:-

1. **Short Title, Extent and Commencement** .- (1) These Rules may be called the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

**2. Sub-rule (2) of Rule 8 of the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007 shall be substituted by the following:-**

**"(2) The services of Nyayamitras appointed on contract on payment of fixed fees shall continue in the respective Gram Katchahry untill the Nyayamitras are not recruited afresh in the newly constituted Gram Katchaharies or the services of the Nyayamitras working on contract are not terminated in accordance with the provisions of these Rules:**

**Provided, that the State Government may authorise the Nyayamitras already appointed on contract to work in their respective Gram Katchahry under such terms and conditions as the Government may prescribe for the purpose of ensuring the availability of Nyayamitra in the Gram Katchaharies.**

**The newly constituted Gram Katchahry shall take action for selection of Nyayamitra at the earliest after election. The new Gram Katchahry may, after reselection, appoint a Nyayamitra previously working as such."**

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible,
*Principal Secretary to the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 528-571+500-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

सरकार के सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक सं0- 3113 दिनांक - 6.7.07 एवं पत्र सं0- 3933 दिनांक 21.8.07 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना के पत्र सं0 458 का0 दिनांक 30-9-2002 के आलोक ग्राम कचहरी के न्याय मित्र / सचिव की नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर प्रस्ताव:

| क्रमांक | प्रखंड का नाम | रोस्टर बिन्दु | पद/आरक्षण कोटि | जिनके लिए आरक्षित है। (सामान्य/महिला) | ग्राम पंचायत का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | चौसा | 01 | अनारक्षित ([illegible]) | सामान्य | श्रीनगर |
| | | 02 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | सामान्य | नियाजी |
| | | 03 | अनारक्षित | महिला | मतौना पवनी [illegible] |
| | | 04 | अनु0 जाति | सामान्य | बारुपुर |
| | | 05 | अनारक्षित | सामान्य | सिकरौल |
| | | 06 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | चौसा |
| | | 07 | अनारक्षित | महिला | लाशरा महुआ दीप[illegible] |
| | | 08 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | महिला | आरक्षणी |
| | | 09. | अनारक्षित | सामान्य | रामपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. | मथुरा | 10 | अनुसूचित जाति | महिला | बरारी |
| | | 11 | अनारक्षित | महिला | सादुराह - I |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग | महिला | सादुराह - II |
| | | 13 | अनारक्षित | सामान्य | महावी |
| | | 14 | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य | बाजना गालिना |
| | | 15 | अनारक्षित | महिला | कोसी दुलमाई |
| | | 16 | अनुसूचित जाति | सामान्य | मुराहार |
| | | 17 | अनारक्षित | सामान्य | महराहु |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला | महिला | मघेरा |
| | | 19 | अनारक्षित | महिला | मानिकपुर |
| | | 20 | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | दुकसौरई (राया) महिला |
| | | 21 | अनारक्षित | सामान्य | सकरायु बेरीन |
| | | 22 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | सहेशुआ |
| | | 23 | अनारक्षित | महिला | चु. रायग |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुक्तपुरा | 24 | अनुसूचित | जाति | महिला | मदोला कुच |
| | | 25 | अनारक्षित | | सामान्य | सुवारी |
| | | 26. | अन्य पिछड़ा | वर्ग | सामान्य | सेल्हवा |
| 03. | सिंहेश्वर | 27 | अनारक्षित | | महिला | मानपुर |
| | | 28 | अनुसूचित जाति | | सामान्य | कनकराम |
| | | 29 | अनारक्षित | | सामान्य | फुलो पिपर |
| | | 30 | पिछड़ा वर्ग | | महिला | पिपौली |
| | | 31 | अनारक्षित | | महिला | भवानीपुर |
| | | 32 | अन्य पिछड़ा | वर्ग | महिला | फुलवारिया |
| | | 33 | अनारक्षित | | सामान्य | अजहर तोले |
| | | 34 | अनुसूचित (महिला पिछड़ा जाति) | जाति | महिला | सिंहेश्वर |
| | | 35 | अनारक्षित | | महिला | परौली |
| | | 36 | अन्य पिछड़ा | वर्ग | सामान्य | कोरहुली |
| | | 37 | अनारक्षित | | सामान्य | बेंदी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिंदईखर | 38 | पिछड़ा | वर्ग | सामान्य | गौरीपुर |
| | | 39 | अनारक्षित | | महिला | इटहरी गहुंआ |
| 04 | सारदीला | 40 | अनुसूचित | जाति | सामान्य | बगनी |
| | | 41 | अनारक्षित | | सामान्य | मोतिवा |
| | | 42 | अत्यंत पिछड़ा | वर्ग | महिला | सारदीला |
| | | 43 | अनारक्षित | | महिला | कोहिला |
| | | 44 | अनुसूचित | जन जाति | सामान्य | मर्राही |
| | | 45 | अनारक्षित | | सामान्य | इटवा जीवछपुर |
| | | 46 | पिछड़ा | वर्ग | महिला | [illegible] |
| | | 47 | अनारक्षित | | महिला | जीवछपुर |
| 05 | श्रीरामपुर | 48 | अनुसूचित | जाति | महिला | मो० कबिलाही |
| | | 49 | अनारक्षित | | सामान्य | मो० रामकाहा |
| | | 50 | अत्यंत पिछड़ा | वर्ग | सामान्य | पचाना |
| | | 51 | अनारक्षित | | महिला | रामपुर लोदी |

| 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | टोंक | 52 | पिछड़ा | वर्ग महिला | महिला | [illegible] |
| | | 53 | अनारक्षित | | सामान्य | देवली |
| | | 54 | अन्य | पिछड़ा वर्ग | महिला | निवाई |
| | | 55 | अनारक्षित | | महिला | [illegible] |
| | | 56 | अनुसूचित | जाति | सामान्य | [illegible] |
| 08 | हनुमानगढ़ | 57 | अनारक्षित | | सामान्य | [illegible] |
| | | 58 | पिछड़ा | वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 59 | अनारक्षित | | महिला | [illegible] |
| | | 60 | अन्य | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 61 | अनारक्षित | | सामान्य | [illegible] |
| | | 62 | अनुसूचित | जाति | महिला | [illegible] |
| | | 63 | अनारक्षित | | महिला | [illegible] |
| | | 64 | पिछड़ा | वर्ग | महिला | [illegible] |
| | | 65 | अनारक्षित | | सामान्य | [illegible] |
| | | 66 | अन्य | पिछड़ा वर्ग | महिला | [illegible] |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुशीनगर | 67 | अनारक्षित (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) | महिला | कप्तानगंज |
| | | 68 | अनुसूचित जाति | सामान्य | हटा |
| | | 69 | अनारक्षित | सामान्य | पडरौना |
| | | 70 | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य | विशुनपुरा (कोइलादी) |
| | | 71 | अनारक्षित | महिला | (रामकोला) |
| | | 72 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | कुशीनगर |
| | | 73 | अनारक्षित | सामान्य | दुदही |
| | | 74 | अनुसूचित जाति | महिला | दुदही |
| | | 75 | अनारक्षित | महिला | दुदही |
| | | 76 | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | दुदही |
| | | 77 | अनारक्षित | सामान्य | बेलवा |
| 07. | मुलीगंज | 78 | अनुसूचित जाति | सामान्य | दीपु (कलां) |
| | | 79 | अनारक्षित | महिला | तिरहुती |
| | | 80 | पिछड़ा वर्ग | महिला | हिंदिरामा |
| | | 81 | अनारक्षित | सामान्य | (धर्मापुर) |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | मुरलीगंज | 82 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 83 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 84 | पिछड़ा वर्ग की महिला | महिला | [illegible] |
| | | 85 | अनारक्षित | सामान्य | दीनापट्टी [illegible] |
| | | 86 | अनुसूचित जाति | महिला | [illegible] |
| | | 87 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 88 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | महिला | [illegible] |
| | | 89 | अनारक्षित | सामान्य | जीरापुर |
| | | 90 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 91 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 92 | अनुसूचित जाति | सामान्य | [illegible] |
| | | 93 | अनारक्षित | सामान्य | रामपुर |
| | | 94 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. | बिहारीगंज | 95 | अनारक्षित | महिला | पड़रिया |
| | | 96 | पिछड़ा वर्ग | महिला | राजगंज |
| | | 97 | अनारक्षित | सामान्य | गोविन्दपुर |
| | | 98 | अनुसूचित जाति | महिला | रानीगंज |
| | | 99 | अनारक्षित | महिला | सिकलीपुर [illegible] |
| | | 100 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | महिला | मधुकरा [illegible] |
| | | 101 | अनारक्षित | सामान्य | कोल्हायपट्टी |
| | | 102 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | सामान्य | श्रीपुर |
| | | 103 | अनारक्षित | महिला | हथिलागा |
| | | 104 | अनुसूचित जाति | सामान्य | हरपुर |
| | | 105 | अनारक्षित | सामान्य | बिहारीगंज |
| | | 106 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | दिघीसमाँवा |
| 09. | उदाकिशुनगंज | 107 | अनारक्षित | महिला | मधुबन |
| | | 108 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | महिला | रामपुर (खोड़ा [illegible] |
| | | 109 | अनारक्षित | सामान्य | किशुनगंज |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | उद्योगिराज | 110 | अनुसूचित जाति | महिला | कटकी |
| | | 111 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 112 | पिछड़ा वर्ग | महिला | [illegible] |
| | | 113 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 114 | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 115 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 116 | अनुसूचित जाति | सामान्य | [illegible] |
| | | 117 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 118 | पिछड़ा वर्ग की महिला | महिला | [illegible] |
| | | 119 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 120 | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | [illegible] |
| | | 121 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 122 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |

| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | [illegible] | 123 | অসংৰক্ষিত | মহিলা | [illegible] |
| | | 124 | অনুসূচিত জাতি | মহিলা | [illegible] |
| | | 125 | অসংৰক্ষিত | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 126 | অন্যান্য পিছপৰা বৰ্গ | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 127 | অসংৰক্ষিত | মহিলা | [illegible] |
| | | 128 | অনুসূচিত জাতি | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 129 | অসংৰক্ষিত | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 130 | পিছপৰা বৰ্গ | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 131 | অসংৰক্ষিত | মহিলা | [illegible] |
| | | 132 | অন্যান্য পিছপৰা বৰ্গ | মহিলা | [illegible] |
| | | 133 | অসংৰক্ষিত | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 134 | অনুসূচিত জাতি ([illegible]) | মহিলা | [illegible] |
| 11. | [illegible] | 135 | অসংৰক্ষিত | মহিলা | [illegible] |
| | | 136 | অন্যান্য পিছপৰা বৰ্গ | সাধাৰণ | [illegible] |
| | | 137 | অসংৰক্ষিত | সাধাৰণ | [illegible] |

| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | अलीराजपुर | 138 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | बड़वानी |
| | | 139 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 140 | अनुसूचित जाति | सामान्य | [illegible] |
| | | 141 | अनारक्षित | सामान्य | अलीराजपुर |
| | | 142 | आरक्षित पिछड़ा वर्ग | महिला | अलीराजपुर( [illegible] |
| | | 143 | अनारक्षित | महिला | अलीराजपुर( [illegible] |
| | | 144 | अनुसूचित जनजाति | महिला | [illegible] |
| | | 145 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 146 | पिछड़ा वर्ग | [illegible] | [illegible] |
| | | 147 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 148 | अनुसूचित जाति | महिला | [illegible] |
| 12 | चौथा | 149 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 150 | आरक्षित पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 151 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 152 | पिछड़ा वर्ग की महिला | महिला | [illegible] |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | चौका | 153 | अनारक्षित | सामान्य | फुलोत [illegible] |
| | | 154 | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | फुलोत [illegible] |
| | | 155 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 156 | अनुसूचित जाति | सामान्य | [illegible] |
| | | 157 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 158 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | चौका [illegible] |
| | | 159 | अनारक्षित | महिला | चौका [illegible] |
| | | 160 | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 161 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| 13 | पुटी | 162 | अनुसूचित जाति | महिला | [illegible] |
| | | 163 | अनारक्षित | महिला | [illegible] |
| | | 164 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | [illegible] |
| | | 165 | अनारक्षित | सामान्य | [illegible] |
| | | 166 | अन्य पिछड़ा वर्ग | महिला | [illegible] |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | पुरैनी | 167 | आनन्द मिश्र (पिता ना.: [illegible]) | शिक्षका | पुरैनी |
| | | 168 | अनुकृति कुमारी | सामान्य | बैरागोपाल |
| | | 169 | आनन्द मिश्र | सामान्य | मधेपुर |
| | | 170. | आनन्द मिश्र [illegible] वर्मा | सामान्य | पुरैनी पुर |

जिला पंचायती राज पदाधिकारी
मधेपुरा
11.09.07

प्रखंड विकास पदाधिकारी
म धे पु रा
11/9/07

ह०
11-09-07
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा